5– आया विवादित आराजी बाबत पूर्व दावा रामपत बनाम अमरसिंह चल रहा था जिसमें भी अनुतोष समान थे नया दावा विधि–विरूद्ध है। इस तनकी का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे रहा है। इस बाबत प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रदर्श–12, 13 पूर्व में प्रस्तुत दावा सं0 45/13 समपत बनाम अमरसिंह प्रकरण की नकल आदेशिका दिनांक 07.04.2017 व मूल प्रस्तुत वाद की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश किये जाने से साबित है कि वादी ने पूर्व में भी उक्तानुसार ही दावा पेश किया था और इस दावे में सुविधा का संतुलन व कॉज ऑफ एक्शन अंकित किये जाने की स्थिति में विवादित आराजी के बाबत यह दावा स्पष्ट रूप से विधि विरूद्ध पेश होना पाया जाता है। वादी का कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं रहा है। इस प्रकार से यह तनकी भी बहक प्रतिवादीगण साबित होकर विरूद्ध वादी साबित पायी जाती है।

6– आया विवादित आराजी के लिए वाद हेतुक पूर्व में पैदा हो चुका था वर्तमान वाद मियाद बाहर है। इस तनकी का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे रहा है। जब तनकी सं0 05 प्रतिवादीगण के हक में साबित हो चुकी है तो यह तनकी भी बहक प्रतिवादीगण बरखिलाफ वादी स्पष्ट रूप से साबित पायी जाती है।

इस प्रकार समस्त तनकीयात सं0 01 लगा0 06 बरखिलाफ वादी एवं बहक प्रतिवादीगण साबित पाये जाने की स्थिति में यह न्यायालय वादी के वाद को खारीज योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः हाल 349 रकबा 0.48 है0, 437 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम पदमाड़ा खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 के बाबत वादी का वाद खारीज योग्य पाये जाने की स्थिति में खारीज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 16.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

16.02.18

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

Scanned by CamScanner